

8849/2022

उत्तराखण्ड शासन
कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग-06
संख्या: 158 /XXX(6)/2022.20(02)21
देहरादून दिनांक: 11 जुलाई, 2022

अधिसूचना

उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार अधिनियम, 2011 (उत्तराखण्ड अधिनियम सं0 20 वर्ष 2011) की धारा-03 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार द्वारा जनसामान्य को नियत समय-सीमा में सेवायें उपलब्ध कराये जाने के उद्देश्य से पूर्व निर्गत अधिसूचनाओं द्वारा अधिसूचित सेवाओं के अतिरिक्त, वित्त तथा आयुष एवं आयुष शिक्षा विभाग द्वारा उपलब्ध करायी जाने वाली सेवाओं, पदाभिहित अधिकारी के पदनाम, सेवायें प्रदान करने की समय-सीमा, प्रथम अपीलीय एवं द्वितीय अपीलीय अधिकारी के पदनाम को निम्नवत अधिसूचित किया जाता है :-

1. राज्य कर विभाग (वित्त विभाग)					
क्र0 सं0	प्रदान की जाने वाली सेवा	पदाभिहित अधिकारी का पदनाम	सेवा हेतु प्रस्तावित समय	प्रथम अपीलीय प्राधिकारी का पदनाम	द्वितीय अपीलीय प्राधिकारी का पदनाम
1	2	3	4	5	6
1	वैट के अन्तर्गत प्रान्तीय/केन्द्रीय पंजीयन के प्रार्थना पत्रों का निस्तारण	राज्य कर अधिकारी /असिस्टेन्ट कमिश्नर	प्रार्थना पत्र प्राप्ति की तिथि से 01 कार्यदिवस के भीतर	संबंधित ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्यपालक)	संबंधित जोनल एडिशनल कमिश्नर
2	वैट के अन्तर्गत पंजीयन संशोधन के प्रार्थना-पत्र	असिस्टेन्ट कमिश्नर	प्रार्थना पत्र एवं वांछित दस्तावेज दाखिल करने के 02 कार्यदिवस के भीतर	संबंधित ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्यपालक)	संबंधित जोनल एडिशनल कमिश्नर
3	वैट के अन्तर्गत अधिक जमा धनराशि की वापसी	राज्यकर अधिकारी/असिस्टेन्ट कमिश्नर/डिप्टी कमिश्नर (क0नि0)	रिफण्ड आदेश के 30 कार्य दिवस के भीतर	संबंधित ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्यपालक)	संबंधित जोनल एडिशनल कमिश्नर
4	वैट के अन्तर्गत विक्रय योग्य फार्मों के प्रार्थना पत्रों का निस्तारण	असिस्टेन्ट कमिश्नर/डिप्टी कमिश्नर (क0नि0)	अपराह्न 2 बजे तक प्राप्त प्रार्थना पत्रों पर उसी कार्यदिवस एवं शेष अगले कार्यदिवस में अपराह्न 12 बजे तक	संबंधित ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्यपालक)	संबंधित जोनल एडिशनल कमिश्नर
5	वैट धारा 30/31 के प्रार्थना-पत्रों का निस्तारण	राज्यकर अधिकारी /असिस्टेन्ट कमिश्नर/डिप्टी कमिश्नर (क0नि0)	प्रार्थना पत्र प्राप्ति के 30 दिन के भीतर 1. जहाँ अतिरिक्त दस्तावेज/साक्ष्य या सुनवाई की आवश्यकता नहीं है, वहाँ 15 दिन के भीतर 2. जहाँ अतिरिक्त दस्तावेज/साक्ष्य या सुनवाई की आवश्यकता है, वहाँ इसे दाखिल करने/सुनवाई पूर्ण होने के 15 दिन के भीतर	संबंधित ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्यपालक)	संबंधित जोनल एडिशनल कमिश्नर

क्र० सं०	प्रदान की जाने वाली सेवा	पदानिहित अधिकारी का पदनाम	सेवा हेतु प्रस्तावित समय	प्रथम अपीलीय प्राधिकारी का पदनाम	द्वितीय अपीलीय प्राधिकारी का पदनाम
1	2	3	4	5	6
6	वैट के अंतर्गत एसटी0-45 जारी करना	राज्य कर अधिकारी/असिस्टेंट कमिश्नर/ डिप्टी कमिश्नर (क०नि०)	बकाया समाप्त होने/जमा का साक्ष्य प्रस्तुत करने के 02 कार्यदिवस के भीतर	संबंधित ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्यपालक)	संबंधित जोनल एडिशनल कमिश्नर
7	जी०एस०टी संबंधी पंजीयन प्रार्थना पत्र	राज्य कर अधिकारी/असिस्टेंट कमिश्नर	1. पंजीयन प्रार्थना पत्र पूर्ण होने की स्थिति में प्रार्थना पत्र दाखिल किये जाने के 07 कार्यदिवस के भीतर 2. कोई कमी पाये जाने पर नोटिस की प्राप्ति की तिथि से 07 कार्यदिवस के भीतर 3. आधार प्रमाणीकरण नहीं करवाये जाने की दशा में 30 दिनों के भीतर	संबंधित ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्यपालक)	संबंधित जोनल एडिशनल कमिश्नर
8	जी०एस०टी संबंधी पंजीयन संशोधन प्रार्थना पत्र	राज्य कर अधिकारी/असिस्टेंट कमिश्नर/ डिप्टी कमिश्नर (क०नि०)	1. व्यापार स्थल के पते में परिवर्तन, व्यापार के विधिक नाम में परिवर्तन तथा निदेशक या भागीदार को जोड़ने/हटाने विषयक परिवर्तन के संबंध में आवेदन प्राप्ति की तिथि से 15 कार्यदिवस के भीतर 2. अन्य मामलों में प्रार्थना पत्र के दाखिल होने पर पंजीयन में संशोधन किया गया समझा जाएगा	संबंधित ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्यपालक)	संबंधित जोनल एडिशनल कमिश्नर
9	जी०एस०टी संबंधी रिफण्ड प्रार्थना पत्र	राज्य कर अधिकारी/असिस्टेंट कमिश्नर/ डिप्टी कमिश्नर	रिफण्ड आवेदन पत्र दाखिल किये जाने के 60 दिनों के भीतर	संबंधित ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्यपालक)	संबंधित जोनल एडिशनल कमिश्नर
10	बीमा संबंधी दावा	संबंधित ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्यपालक)	दुर्घटना बीमा संबंधी दावा प्रस्तुत करने के 90 दिनों के भीतर	संबंधित जोनल एडिशनल कमिश्नर	एडिशनल कमिश्नर (विशेष वेतनमान)
11	शिकायत निवारण	असिस्टेंट कमिश्नर/ डिप्टी कमिश्नर	शिकायत प्राप्ति के 15 दिनों के भीतर	संबंधित जोनल एडिशनल कमिश्नर	एडिशनल कमिश्नर (विशेष वेतनमान)
12	कर निर्धारण आदेश	राज्य कर अधिकारी/असिस्टेंट कमिश्नर/ डिप्टी कमिश्नर (क० नि०)	अंतिम सुनवाई के 15 दिन के भीतर	संबंधित ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्यपालक)	संबंधित जोनल एडिशनल कमिश्नर

9/7/2022

9/7/2022

2. आयुर्वेदिक एवं यूनानी सेवायें (आयुष एवं आयुष शिक्षा विभाग)

क्र० सं०	सेवा का नाम	प्रदायित अधिकारी का पदनाम	सेवा हेतु प्रस्तावित समय	प्रथम अपीलीय अधिकारी	द्वितीय अपीलीय अधिकारी
1	2	3	4	5	6
1	ओपीडी प्रिस्क्रिप्शन पर्ची जारी करना	चिकित्सालय के सम्बन्धित चिकित्साधिकारी	30 मिनट	सम्बन्धित जनपद के जिला आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी	निदेशक, आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी, उत्तराखण्ड
2	ओपीडी रोगी को निर्वहन कार्ड जारी करना	चिकित्सालय के सम्बन्धित चिकित्साधिकारी	02 से 03 घण्टे	सम्बन्धित जनपद के जिला आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी	निदेशक, आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी, उत्तराखण्ड
3	फिटनेस प्रमाणपत्र जारी करना	चिकित्सालय के सम्बन्धित चिकित्साधिकारी	01 से 02 घण्टे	सम्बन्धित जनपद के जिला आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी	निदेशक, आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी, उत्तराखण्ड
4	आयुर्वेदिक/यूनानी/होम्योपैथिक दवाओं के निर्माण के लिये लाइसेंस जारी करना (आयुष मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक 01.10.2021 के अनुसार)	सहायक औषधि नियंत्रक, आयुर्वेदिक एवं यूनानी सेवायें, उत्तराखण्ड	02 माह	राज्य अनुज्ञापन अधिकारी, उत्तराखण्ड	निदेशक, आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी, उत्तराखण्ड
5	औषधि एवं सौन्दर्य प्रसाधन अधिनियम 1945 के अन्तर्गत शास्त्रीय आयुर्वेदिक दवाओं के निर्माण की स्वीकृति	सहायक औषधि नियंत्रक, आयुर्वेदिक एवं यूनानी सेवायें, उत्तराखण्ड	01 हफ्ते के भीतर	राज्य अनुज्ञापन अधिकारी, उत्तराखण्ड	निदेशक, आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी, उत्तराखण्ड
6	औषधि एवं सौन्दर्य प्रसाधन अधिनियम 1945 के अन्तर्गत रोगियों/स्वामित्व वाली दवाओं के निर्माण की स्वीकृति	सहायक औषधि नियंत्रक, आयुर्वेदिक एवं यूनानी सेवायें, उत्तराखण्ड	01 हफ्ते के भीतर	राज्य अनुज्ञापन अधिकारी, उत्तराखण्ड	निदेशक, आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी, उत्तराखण्ड
7	एलोपैथी/होम्योपैथी/कॉस्मेटिक एवं ब्लड बैंक लाइसेंस एवं नवीनीकरण- विनिर्माण लाइसेंस के लिये राज्य प्राधिकारी से स्वीकृति	सहायक औषधि नियंत्रक, आयुर्वेदिक एवं यूनानी सेवायें, उत्तराखण्ड	30 दिवस	राज्य अनुज्ञापन अधिकारी, उत्तराखण्ड	निदेशक, आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी, उत्तराखण्ड
8	अतिरिक्त श्रेणी दवा, सौन्दर्य प्रसाधन और घटक प्रसंस्करण के निर्माण के लिये लाइसेंस-विनिर्माण लाइसेंस के लिये राज्य प्राधिकारी से स्वीकृति	सहायक औषधि नियंत्रक, आयुर्वेदिक एवं यूनानी सेवायें, उत्तराखण्ड	30 दिवस	राज्य अनुज्ञापन अधिकारी, उत्तराखण्ड	निदेशक, आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी, उत्तराखण्ड

849/2022

क्र० सं०	सेवा का नाम	पदानिहित अधिकारी का पदनाम	सेवा हेतु प्रस्तावित समय	प्रथम अपीलीय अधिकारी	द्वितीय अपीलीय अधिकारी
1	2	3	4	5	6
9	दवाओं के परीक्षण एवं विश्लेषण के लिये लाइसेंस	सहायक औषधि नियंत्रक, आयुर्वेदिक एवं यूनानी सेवायें, उत्तराखण्ड	15 दिवस	राज्य अनुज्ञापन अधिकारी, उत्तराखण्ड	निदेशक, आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी, उत्तराखण्ड
10	अतिरिक्त दवा निर्माण के लिये लाइसेंस- विनिर्माण लाइसेंस के लिये राज्य प्राधिकारी से स्वीकृति	सहायक औषधि नियंत्रक, आयुर्वेदिक एवं यूनानी सेवायें, उत्तराखण्ड	15 दिवस	राज्य अनुज्ञापन अधिकारी, उत्तराखण्ड	निदेशक, आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी, उत्तराखण्ड
11	नये GMP / WHO प्रमाण पत्र के लिये अनुमोदन एवं वैधता स्वीकृति (Approval and validity instinet) – विनिर्माण लाइसेंस के लिये राज्य प्राधिकारी से स्वीकृति	सहायक औषधि नियंत्रक, आयुर्वेदिक एवं यूनानी सेवायें, उत्तराखण्ड	07 दिवस	राज्य अनुज्ञापन अधिकारी, उत्तराखण्ड	निदेशक, आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी, उत्तराखण्ड
12	निम्नलिखित प्रमाण पत्र जारी करने के लिये- 1. Non-conviction certificate (दोष सिद्ध न होने का प्रमाण-पत्र)	सहायक औषधि नियंत्रक, आयुर्वेदिक एवं यूनानी सेवायें, उत्तराखण्ड	07 दिवस	राज्य अनुज्ञापन अधिकारी, उत्तराखण्ड	निदेशक, आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी, उत्तराखण्ड
	2. Free-sale certificate (निःशुल्क बिक्री प्रमाण पत्र)	सहायक औषधि नियंत्रक, आयुर्वेदिक एवं यूनानी सेवायें, उत्तराखण्ड		राज्य अनुज्ञापन अधिकारी, उत्तराखण्ड	निदेशक, आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी, उत्तराखण्ड
	3. Validity certificate (वैधता प्रमाण पत्र)	सहायक औषधि नियंत्रक, आयुर्वेदिक एवं यूनानी सेवायें, उत्तराखण्ड		राज्य अनुज्ञापन अधिकारी, उत्तराखण्ड	निदेशक, आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी, उत्तराखण्ड
	4. Performance certificate (निष्पादन प्रमाण पत्र)	सहायक औषधि नियंत्रक, आयुर्वेदिक एवं यूनानी सेवायें, उत्तराखण्ड		राज्य अनुज्ञापन अधिकारी, उत्तराखण्ड	निदेशक, आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी, उत्तराखण्ड
	5. Neutral code number (तटस्थ कोड संख्या)	सहायक औषधि नियंत्रक, आयुर्वेदिक एवं यूनानी सेवायें, उत्तराखण्ड		राज्य अनुज्ञापन अधिकारी, उत्तराखण्ड	निदेशक, आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी, उत्तराखण्ड

11/07/2022

11/07/2022

- सेवा का अधिकार अधिनियम, 2011 के अन्तर्गत दिन की गणना कार्यदिवस के रूप में की जायेगी।
- सेवा का अधिकार अधिनियम, 2011 के अन्तर्गत सेवा की तिथि की गणना, पूर्णरूप से, यथावश्यक दस्तावेजों के साथ प्राप्त आवेदन-पत्र की प्राप्ति के दिवस से मानी जायेगी।
- उक्त सेवार्थें तत्काल प्रभाव से प्रभावी मानी जायेगी।

Signed by Shailesh
Bagauli

Date: 11/07/2022 5:43:05

सचिव।

संख्या: 158 /XXX(6)/22-20(02)21 तददिनांकित।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव/प्रभारी सचिव, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
- सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड देहरादून।
- निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
- मण्डलायुक्त, गढ़वाल/कुमाऊं मण्डल, उत्तराखण्ड।
- समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
- महानिदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड देहरादून।
- सचिव, सेवा का अधिकार आयोग, उत्तराखण्ड देहरादून।
- समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।
- निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रुड़की को इस आशय से कि इसकी 50 प्रतियां मुद्रित कराकर उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
- राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी, एन0आई0सी0, देहरादून।
- मीडिया सेन्टर।
- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

Signed by Alok Kumar

Singh (आलोक कुमार सिंह)

Date: 11-07-2022 10:51:09